इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209 र

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 मई 2013—वैशाख 11, शक 1935

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

एफ 1-004-2007-तेरह.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 126 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 180 के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत (अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--

- ''5. **पदाभिहीत निर्धारण अधिकारी**—अनंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कंपनी या उसकी प्राधिकृत फ्रेंचाइजी के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—
 - (क) 15 हार्सपावर तक समस्त निम्नदाब (लो-टेंशन) संयोजन हेतु कनिष्ठ यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;
 - (ख) 15 हार्सपावर से अधिक समस्त निम्नदाब (लो–टेंशन) संयोजन हेतु सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;
 - (ग) समस्त उच्चदाब (हाई-टेंशन) संयोजन हेतु कार्यपालन यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी.''

No. F-1-004-2007-XIII.—In exercise of the powers conferred by clause (k) of Section 180 read with sub-section (2) of Section 126 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity (Service of Provisional Assessment Order) Rules, 2004 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

- **''5. Designated assessing officers**—For the purpose of provisional assessment, the following officers of the licensee Electricity Distribution Company or its authorized franchisee shall be the assessing officers,—
 - (a) An officer not below the rank of Junior Engineer for all low-tension connections up to 15 horse power;
 - (b) An officer not below the rank of Assistant Engineer for all low-tension connections more than 15 horse power;
 - (c) An officer not below the rank of Executive Engineer for all high-tension connections.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.